प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके 16 दिसंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4061(अ) द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) अधिसूचित की थी। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति धनराशि जमा कर सकेगा जिसने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 के अंतर्गत अघोषित आय की घोषणा की है। जमाराशि, जो घोषित अघोषित आय के 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी 17 दिसंबर, 2016 (शनिवार) से 31 मार्च, 2017 (शुक्रवार) तक प्राधिकृत बैंकों (भारत सरकार द्वारा यथा-अधिसूचित) में जमा कराई जा सकती है।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि सहकारी बैंक पीएमजीकेडीएस 2016 के अंतर्गत जमाराशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत बैंक नहीं है। अधिसूचना के पैरा 7(1) में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:

"**7. प्राधिकृत बैंक** - (1) बांड लेजर खाते के रूप में जमा संबंधी आवेदन, सहकारी बैंकों से इतर किसी भी ऐसी बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाएंगे जिस पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) लागू होता है।"

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 19 जनवरी, 2017